



कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला-मुरैना (म0प्र0)

दूरभाष : (कार्या.) 07532-223500, (नि.) : 223400, (फैक्स) : 226500, ई-मेल : dmmorena@nic.in, dmorena@gmail.com

क्रमांक/स्टेनो/ए.डी.एम./को.वा./2020/4573

मुरैना, दिनांक 24 मई, 2020

आदेश

(अन्तर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973)

नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) से जनहित बीमारी के संक्रमण को रोकने के लिए पूर्व में कार्यालयीन आदेश क्रमांक/स्टेनो/ए.डी.एम./को.वा./2020/3831, दिनांक 24.03.2020 से निषेधाज्ञा जारी कर लॉकडाउन के आदेश जारी किए गए थे।

एतस्मिन्पश्चात् भारत सरकार गृह मामलों के मंत्रालय द्वारा निर्गत आदेश क्रमांक 40-3/2020-D, दिनांक 24.03.2020 से दिनांक 14.04.2020 तक, आदेश क्रमांक 40-3/2020-DM-I(A), दिनांक 15.04.2020 से दिनांक 03.05.2020 तक एवं आदेश क्रमांक 40-3/2020-DM-I(A), दिनांक 01.05.2020 से दिनांक 17.05.2020 तक तथा आदेश क्रमांक 40-3/2020-DM-I(A), दिनांक 17 मई, 2020 से दिनांक 31 मई, 2020 तक लाकडाउन किए गये है।

उक्त सभी आदेशों के क्रम में कार्यालयीन आदेश क्रमांक/3831, दिनांक 24.03.2020, आदेश क्रमांक/3932, दिनांक 14.04.2020 एवं आदेश क्रमांक/3966, दिनांक 20.04.2020 तथा आदेश क्रमांक/4078, दिनांक 03.05.2020 से यथासमय जिला मुरैना में आवश्यक आदेश जारी कर कार्यालयीन आदेश क्रमांक/4253, दिनांक 18.05.2020 से लॉकडाउन दिनांक 31.05.2020 तक बढ़ाया जाकर आदेश क्रमांक/4306, दिनांक 20.05.2020 द्वारा जिले में कार्यालयीन आदेश क्रमांक/4078, दिनांक 03.05.2020 से छूटें प्रदान की गई है।

अब वर्तमान स्थिति में कोरोना के संक्रमित नये केस कई स्थानों पर चिन्हित हुए हैं। अतः नवीन संक्रमित क्षेत्र यथा-नगरनिगम मुरैना के वार्ड क्रमांक 12 पुरानी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी मुरैना में कोविड-19 की गंभीर परिस्थिति ज्ञात होने के फलस्वरूप मैं प्रियंका दास, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला मुरैना, मुरैना जिले के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अधीन जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराते हुए इस क्रम में निर्गत पूर्व आदेशों को उद्देश्य पूर्ति के लिए यथाआवश्यक संशोधित करते हुए मुरैना के नगरनिगम क्षेत्र वार्ड क्रमांक 12 पुरानी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी मुरैना के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों के अधीन अन्य आदेश होने तक कर्फ्यू लगाने का आदेश प्रसारित करती हूँ।

कर्फ्यू के दौरान कोई भी व्यक्ति अपने घरों से बाहर नहीं निकलेगा तथा किसी भी प्रकार के आयोजन नहीं करेगा। अन्य कोई भी व्यक्ति घोषित कर्फ्यू क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा।

पुलिस प्रशासन द्वारा उक्त जारी आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करावेगा। चूंकि यह आदेश जन सामान्य के जनमाल की सुरक्षा तथा भविष्य में लोकशांति भंग होने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है तथा इतना समय

उपलब्ध नहीं है कि जन सामान्य व इससे संबंधित सभी पक्षों को उक्त सूचना की तामिली की जा सकें। अतः यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के अन्तर्गत एकपक्षीय पारित किया जाता है। आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(5) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। अत्यन्त विशेष परिस्थितियों में अथवा इस आदेश में उल्लेखित प्रावधानों में संशोधन/स्पष्टीकरण पृथक से जारी हो सकेगें।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा एवं इस आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 व अन्य प्रासंगिक धाराओं तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।


(प्रियंका दास)
कलेक्टर,

जिला मुरैना म.प्र.

मुरैना, दिनांक 27 मई, 2020

पृ. क्रमांक / स्टेनो / ए.डी.एम. / को.वाय. / 2020 / 1573
प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, गृह विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना।
4. महानिरीक्षक पुलिस, चम्बल जोन, ग्वालियर।
5. पुलिस अधीक्षक, जिला मुरैना।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मुरैना।
7. अपर जिला दण्डाधिकारी, मुरैना।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / सिविल सर्जन, मुरैना।
9. आयुक्त, नगरपालिक निगम / पी.ओ. डूडा, मुरैना।
10. समस्त एस.डी.एम. / एस.डी.ओ.पी. / तहसीलदार / थाना प्रभारी / सी.एम.ओ. / सी.ई.ओ. / बी.एम.ओ., जिला मुरैना
11. उप संचालक, जनसम्पर्क विभाग, मुरैना की ओर प्रचार-प्रसार हेतु।
12. की ओर पालनार्थ।


कलेक्टर,
जिला मुरैना म.प्र.